



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15042025-262459
CG-MH-E-15042025-262459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1680]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 2025/चैत्र 25, 1947

No. 1680]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2025/CHAITRA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 15 अप्रैल, 2025

का.आ. 1711(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपावद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में "मनमाड-जलगाव 4th लाइन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम कि धारा 20वाँ कि उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप विभागीय अधिकारी, चालीसगाव महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपर्युक्त करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 वाँ कि उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय मे उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 3 गाँव का विशेष रेल परियोजना मनमाड-जळगाव 4th लाईन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क	भूमि अधिग्रहण प्रकरणाची संख्या	गांव का नाम	तालुका	७/१२ अनुसार भूद्वारक का जमीनधारकाचे नाव	सर्वेक्षण संख्या	जमीन धारणा प्रणाली	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)
1	34/2025	खरजई	चाळीसगाव	राजेंद्र भाऊराव अहिरे, सागरबाई भावराव अहिरे	71/1A+1B	।	0.72	0.06
2				सुरेखा ईश्वर पाटील	80/1	।	0.64	0.11
3				धोंडू दामू पाटील	80/2	।	0.64	0.12
4				नारायण जगन्नाथ पाटील, भूषण जगन्नाथ पाटील, माधवराव जगन्नाथ पाटील	80/3	।	1.22	0.25
						कुल	3.22 (हे. आर.)	0.54 (हे. आर.)
1	35/2025	वडाळा-वडाळी	चाळीसगाव	कलाबाई संतोष आमले, हनुमंत संतोष आमले, भाऊसाहेब संतोष आमले	91	।	0.58	0.020
2				शंकर देवचंद पाटील	94	।	0.13	0.13
3				काशीनाथ रघुनाथ पाटील, गोरखनाथ पाटील, मधिंदरनाथ रघुनाथ पाटील	95	।	2.72	0.65
						कुल	3.43 (हे. आर.)	0.80 (हे. आर.)
1	36/2025	पातोंडा	चाळीसगाव	जगन्नाथ सुभाष माळी	772	।	1.35	0.41
2				अशोक खुशाल माळी, धर्मा खुशाल माळी, भिकन खुशाल माळी	778	।	2.72	0.67
						कुल	4.07 (हे. आर.)	1.08 (हे. आर.)
						कुल योग (हे.आर.)	10.72 (हे. आर.)	2.42 (हे. आर.)

[फा. सं. G197/MMR-JL 4th line/3 Vlg/Chalisgaon/Apr/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th April, 2025

S.O. 1711(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Manmad-Jalgaon 4th Line** in the district of Jalgaon in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Sub-Divisional Officer, Chalisgaon** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDEULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project of Manmad-Jalgaon 4th Line for 3 villages in the District Jalgaon in the State of Maharashtra.

S.N	Land Acquisition Proposal No.	Village	Taluka	Land Owners Name according to 7/12	Survey No./Gatt No.	Land Holding Method	Area as per 7/12 Extracts (HR.)	Acquisition Area (H.R)
1	34/2025	Kharzai	Chalisgaon	Rajendra Bhaurao Ahire & Sagarbai Bhaurao Ahire	71/1A+1B	I	0.72	0.06
2				Surekha Eshwar Patil	80/1	I	0.64	0.11
3				Dhondu Damu Patil	80/2	I	0.64	0.12
4				Narayan Jagannath Patil, Bhushan Jagannath Patil, Madhavrao Jagannath Patil	80/3	I	1.22	0.25
						Total	3.22 (HR.)	0.54 (HR.)
1	35/2025	Vadala-Vadali	Chalisgaon	Kalabai Santosh Aamle, Hanumanth Santosh Aamle, Bhausaheb Santosh Aamle	91	I	0.58	0.020
2				Shankar Devchand Patil	94	I	0.13	0.13
3				Kashinath Raghunath Patil, Gorakhnath Patil,	95	I	2.72	0.65

				Machindarnath Raghunath Patil				
						Total	3.43 (HR.)	0.80 (HR.)
1				Jagannath Subhash Mali	772	I	1.35	0.41
2	36/2025	Patonda	Chalisgaon	Ashok Khushal Mali, Dharma Khushal Mali, Bhikan Khushal Mali	778	I	2.72	0.67
						Total	4.07 (HR.)	1.08 (HR.)
						Grand Total	10.72 (HR.)	2.42 (HR.)

[F. No. G197/MMR-JL 4th line/3 Vlg/Chalisgaon/Apr/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)